सोनाघाटी रेलवे पुल की चौड़ाई कम होने से एक साथ नहीं निकल पाते दो वाहन

नवभारत न्यूज

बैतूल, 10 अक्टूबर. सोनाघाटी रेलवे पुल की टर्निंग पर सड़क बेहद संकरी है। सड़क की चौड़ाई आज तक नहीं बढ़ाई है। केवल 7 मीटर चौड़ी इस सड़क पर सोनाघाटी पुलिया जैसी जगह पर चौड़ाई 5 मीटर ही है।

5 मीटर चौड़े पुल से निकल रहे वाहन, हादसे का डर

सड़क और पुल चौड़ीकरण पर नहीं दिया जा रहा ध्यान

यहां चारपहिया वाहन के आने पर बाइक तक नहीं निकल पाती। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस सड़क को चौड़ा करने की सुध नहीं है। वहीं इसी सड़क पर सदर के ओवरब्रिज पर तो ऐसे जाम लगते हैं कि बगल के फुटपाथ पर खतरा मोल लेकर बाइक चालकों को दूसरी ओर जाना पड़ता है। बडोरा मंडी में भी अब मक्का खरीदी का सीजन आने वाला है ऐसे में अब यहां परेशानियां बढ़ सकती हैं। दरअसल बैतूल शहर से दोनों दिशाओं में भोपाल की ओर 30 मीटर चौड़ा बैतूल-इटारसी फोरलेन और महाराष्ट्र की ओर 30 मीटर चौड़ा बैतूल-नागपुर फोरलेन बन चुका है। लेकिन बीच में जिस 13 किलोमीटर सड़क पर सबसे ज्यादा बैतूल और बैतूल बाजार के शहरवासी आना-जाना करते हैं, जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। इसे चौड़ा करने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनाघाटी रेलवे पुल के पास पूर्व में कई हादसे हो चुके है। जिसके पीछे बड़ा कारण सड़क की कम चौड़ाई है। बताया गया कि इस सड़क पर सोनाघाटी पुलिया की सड़क तो केवल 4.5 मीटर चौड़ी है। जिसके कारण दो वाहन एक साथ क्रॉस नहीं हो पाते है। सोनाघाटी रेलवे पुल की हालत तो ऐसी है कि यहां चार पहिया वाहन के आने पर बाइक तक नहीं निकल पाती। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस सड़क को चौड़ा करने की सुध नहीं है।

> सोनाघाटी से मिलानपुर तक की 13 किमी सड़क के चौड़ीकरण के लिए पूर्व में प्लानिंग की थी। इस दिशा में ध्यान दिया जायेगा। यदि बजट की व्यवस्था होगी तो उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर प्रपोजल भेजा जाएगा।
> **– डीएस परमार,** एसडीओ, पीडब्ल्यूडी बैतूल

हो चुके है कई हादसे, फिर भी ध्यान नहीं

सोनाघाटी रेलवे पुल के पास पूर्व में कई हादसे हो चुके है। जिसके पीछे बड़ा कारण सड़क की कम चौड़ाई है। बताया गया कि इस सड़क पर सोनाघाटी पुलिया की सड़क तो केवल 4.5 मीटर चौड़ी है। जिसके कारण दो वाहन एक साथ क्रॉस नहीं हो पाते है। सोनाघाटी रेलवे पुल की हालत तो ऐसी है कि यहां चार पहिया वाहन के आने पर बाइक तक नहीं निकल पाती। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस सड़क को चौड़ा करने की सुध नहीं है। इसी तरह सदर के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले ओवर ब्रिज पर दोनों ओर ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि वाहन फुटपाथ पर चलाना मजबूरी बन गया। ऐसे में इस सड़क पर हादसों का खतरा और भी बढ़ गया है।

विभाग ने दोबारा नहीं भेजा प्रपोजल

बैतूल से नागपुर तक 177 किमी फोरलेन 2200 करोड़ से 2014 में बनाया गया। इसी तरह बैतूल इटारसी 650 करोड़ के 72 किमी फोरलेन में से 51 किमी बनने के बाद इस पर भी ट्रैफिक चालू है। बैतूल के आसपास तो खूब चौड़ी फोरलेन सड़कें बनी। लेकिन बैतूल शहर से गुजरने वाली पुराने एनएच 69 की सड़क आज भी संकरी है। 2015 में एनएचएआई से पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर की इस सड़क पर सोनाघाटी पुलिया की सड़क तो केवल 4.5 मीटर चौड़ी है। इसे 25 मीटर करने की मांग कई बार उठी, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने एक बार 2015 में प्रपोजल भेजने के बाद उस समय बजट का इंतजाम नहीं होने पर दोबारा प्रस्ताव ही नहीं भेजा। जबकि सड़क को छोड़कर अन्य सभी सड़कें जिन का बैतूल शहरवासी बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करते सभी चौड़ी हो चुकी हैं।

बच्चों की मौत पर कांग्रेस कर रही दिखावा : बर्डे

सारनी। छिंदवाड़ा जिले के परासिया ब्लॉक में 22 से अधिक बच्चों की मौत पर कांग्रेस दिखावा कर रही है। उपरोक आरोप भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष योगेश बर्डे ने प्रेस विज्ञप्ति में लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रदेश सरकार को पता चला कि 3 सितंबर को पहले बच्चे की मौत हुई है वैसे ही उनके माध्यम से स्वास्थ्य महक में को अलर्ट कर दिया गया था लेकिन स्वास्थ्य महक में के तकनीकी कर्मियों की वजह से सिरप के जांच के लिए 26 सितंबर को भेजा गया था उसके बाद मौत का सिलसिला नहीं थम पाया इसकी जानकारी लगते ही प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री राजेश शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के माध्यम से पीड़ित परिवारों के लोगों से मिलकर संवेदनशीलता व्यक्त करने का कार्य किया है।

एक नजर में

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम संपन्न

बैतूल। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर के अवसर पर ब्रह्माकुमारीज़ द्वारा प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय बैतूल के तत्वावधान में संचालिका बीके मंजू के मार्गदर्शन में सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल कालापाठा और विवेकानंद विज्ञान महाविद्यालय बैतूल की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त प्रयास से डिजिटल डिटॉक्स और मानसिक पवित्रता विषय प्रेरक कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें युवाओं ने डिजिटल दुनिया में जहां नोटिफिकेशन कभी नहीं रुकते और स्क्रीन कभी सोती नहीं, जिससे मन की सच्ची शांति तकनीक की चमक में खो जाती है। इस मौके पर ब्रह्माकुमारी सविता दीदी ने कहा कि तकनीक आपके जीवन की उन्नति का साधन बने पर आपकी मन की शांति पर हावी ना हो। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब केवल डिजिटल गेजेट्स से दूर रहना ही नहीं परंतु अपने मन को भी हर प्रकार की नकारात्मक विचारों,व्यर्थ चिंताओं से मुक्त रखना है। इस अवसर पर सभी को दीदी ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करके मन के विचारों को सकारात्मक बनाने की विधि बताई तथा सभी ने नशामुक्त एवं संयमित और डिजिटल संतुलित जीवन अपनाने की सामूहिक प्रतिज्ञा ली। नवोदय विद्यालय के खेल शिक्षक कमलेश देवकते ने मानसिक एक्टिविटी कराई।

शहर में फल-फूल रहा अवैध रेत कारोबार

सारनी। नगर के पाथाखेड़ा, शोभापुर, बगडोना एवं छतरपुर गांव के आसपास अवैध रेत खनन और परिवहन का कारोबार खुलेआम जारी है। बताया जा रहा है कि यह धंधा प्रभावशाली नेताओं और कुछ अधिकारियों के संरक्षण में धड़ल्ले से चल रहा है। रेत माफिया दिन-रात ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के माध्यम से नदी-नालों से रेत निकालकर खुलेआम बिक्री कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, ट्रैक्टर चालकों द्वारा दिखाई जाने वाली पर्चियां डब्ल्यू.आर.ओ. की फर्जी पाई गई हैं, जिनके सहारे शासन को प्रतिदिन लाखों रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है। वहीं खनिज विभाग की कार्रवाई की सूचनाएं पहले ही लीक हो जाती हैं, जिससे रेत से भरे ट्रैक्टर मौके से फरार हो जाते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रैक्टरों की आवाजाही आम बात हो गई है। इससे पर्यावरण संरक्षण कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने जिले में धारा 163 लागू

बैतूल। जिले के मुलताई क्षेत्र में उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बैतूल जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।

जिला मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, ताकि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था अब सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र, डंडा, हॉकी स्टिक, रॉड आदि लेकर नहीं चल सकेगा, न ही इनका प्रदर्शन या उपयोग किया जा सकेगा। जिले में कोई भी सभा, धरना, प्रदर्शन, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम बिना प्रशासन की पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाने और धार्मिक या साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली सामग्री को भी गंभीरता से लिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ई-मेल सहित सभी डिजिटल माध्यमों पर आपत्तिजनक, भ्रामक, या भड़काऊ संदेश, चित्र या वीडियो साझा करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। ग्रुप एडमिन भी जिम्मेदार माने जाएंगे। जिला प्रशासन ने एसिड, पेट्रोल, केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन और उपयोग पर भी पूरी तरह से रोक लगाई है। साथ ही, किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या भीड़ में पटाखों और विस्फोटक सामग्री के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति टेंट, पंडाल आदि का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, किसी भी सड़क, राजमार्ग या रास्ते पर यातायात बाधित करना, लोगों की आवाजाही रोकना प्रतिबंधित रहेगा।

बिना अनुमति सभा, जुलूस और रैली पर रोक

ज्वलनशील और विस्फोटकों के उपयोग पर रोक

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई: जिला मजिस्ट्रेट सूर्यवंशी ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक संहिता के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से यह कदम जिले में शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचाव के लिए उठाया गया है।

गहरी खाई में गिरा इथेनॉल से भरा टैंकर

बैतूल। बैतूल-अमरावती स्टेट हाईवे पर गुरुवार देर रात इथेनॉल से भरा टैंकर बेकाबू होकर करीब 250 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा भैंसदेही थाना क्षेत्र के कोथलकुंड-चिचड़ाना गांव के पास हुआ। शुक्रवार सुबह एसडीईआरएफ की 6 सदस्यीय टीम ने चालक के शव का रेस्क्यू किया। जानकारी के अनुसार, टैंकर बैतूल स्थित इथेनॉल प्लांट से महाराष्ट्र के मनमाड़ की ओर जा रहा था। हादसे की सूचना रात करीब 11.30 बजे एसडीएम भैंसदेही द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही टीआई अरविंद धुर्वे के निर्देश पर

पुलिस और एसडीईआरएफ की 6 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। टैंकर में इथेनॉल जैसी ज्वलनशील सामग्री भरे होने और चारों ओर अंधेरा था, इसलिए बचाव दल को रात में खाई से बाहर बुला लिया गया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। इसके बाद शुक्रवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। एसडीईआरएफ की टीम, प्लाटून कमांडर सुनीता पंद्रे के नेतृत्व में खाई में उतरी और मृत चालक का शव बाहर निकाला। एएसआई रामप्रसाद कीर ने बताया कि मृतक की पहचान रघुनाथ (निवासी महाराष्ट्र) के रूप में हुई है।

एनएसयूआई ने उठाया खेल मैदान की दयनीय दुर्दशा का मुद्दा

बैतूल। चिचोली के एकमात्र खेल मैदान की बदहाल स्थिति को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है। एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष अमन खान ने कहा कि जिस खेल मैदान ने कभी जिले और प्रदेश में चिचोली का नाम रोशन किया, आज वही मैदान उपेक्षा और लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। बीते दिनों इसी मैदान में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ था, जहां बड़ी संख्या में खिलाड़ी और नागरिक जुटे थे। यही नहीं, नगर के अधिकांश सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसी मैदान में आयोजित किए जाते हैं। इसके बावजूद नगर परिषद द्वारा मैदान के रखरखाव और विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अमन खान ने कहा कि इस मैदान ने कभी बड़े-बड़े क्रिकेट टूर्नामेंटों की मेजबानी की थी, जिनमें प्रदेशभर के टेनिस बॉल क्रिकेट के नामचीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। उस समय इस मैदान ने चिचोली का नाम खेल जगत में ऊँचा किया था, लेकिन अब इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि खिलाड़ी अभ्यास करने तक से कतराने लगे हैं। मैदान में घास नहीं है, चारों ओर गड्ढे हैं, बाउंड्री दीवार टूटी हुई है और दर्शक दीर्घा भी जर्जर अवस्था में है।

हत्या कर कुएं में फेंकने वाले को आजीवन कारावास

बैतूल। खेत पर गए एक किसान की हत्या कर अपराध छिपाने के लिए उसके शव को बोरे में भरकर पत्थर बांधकर कुएं में फेंकने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। दो आरोपियों को आजीवन कारावास और एक आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई। 28 अक्टूबर 2020 को सिरडी गांव के निवासी आनंदराव देशमुख अपने खेत गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। 29 अक्टूबर को उनके बेटे निकलेश पिता आनंदराव देशमुख ने थाना मुलताई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पिता आनंदराव देशमुख सुबह खेत पर गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। पुलिस ने रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान संदेही प्रमोद पिता भीमराव मगरदे, निवासी सिरडी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने बताया कि पुराने विवाद एवं बदले की भावना से उसने अपने पिता भीमराव मगरदे और भाई दिलीप मगरदे के साथ मिलकर आनंदराव देशमुख की हत्या की थी। आरोपियों ने मृतक आनंदराव को घर के अंदर बुलाकर रस्सी से बांधकर गला घोंट दिया और शव को प्लास्टिक की बोरी में भरकर रात के अंधेरे में बैलगाड़ी से ले जाकर ग्राम पीपलपानी के खेत के कुएं में पत्थरों के साथ फेंक दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना मुलताई पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय, मुलताई ने विचारण के बाद 9 अक्टूबर को निर्णय सुनाया। प्रमोद पिता भीमराव मगरदे और भीमराव पिता गंदाजी मगरदे, निवासी सिरडी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं दिलीप पिता भीमराव मगरदे, निवासी सिरडी को 7 साल के कारावास से दंडित किया। अभियोजन पक्ष से सहायक संचालक अभियोजन सत्यप्रकाश वर्मा के मार्गदर्शन में एडीपीओ मालिनी देशराज ने प्रभावी पैरवी की।

मप्र में बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के दवा वितरण पर सख्ती

सारनी। सारनी क्षेत्र में प्राय: सभी मेडिकल स्टोर, प्राइवेट अस्पताल, फार्मेशियों को सूचना पत्र जारी किया। एमपी स्टेट फार्मेसी काउंसिल भोपाल ने एक आवश्यक सूचना जारी करते हुए प्रदेश के सभी अस्पतालों, फार्मेसियों और मेडिकल स्टोर्स को निर्देशित किया है कि अब दवाओं का डिस्पेंसिंग (वितरण या बिक्री) केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही किया जाएगा। फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के किसी भी चिकित्सा प्रतिष्ठान या मेडिकल स्टोर में दवाओं का वितरण या विक्रय किया जाना दंडनीय अपराध है। काउंसिल ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फार्मेसी अधिनियम 1948 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काउंसिल ने सभी संचालकों और फार्मासिस्टों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी दवा वितरण कार्य केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही हों। अन्यथा, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी। यह आदेश एमपी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार भुवन त्रिपाठी द्वारा जारी किया गया है तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई हैं।

कार्यशाला ने जगाई सकारात्मक सोच

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सुर्यवंशी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत आठनेर के सभागृह में राज्य आनंद संस्थान एवं जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय अल्प विराम परिचय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यशाला बैतूल जिले के प्रत्येक विकासखंड में आयोजित की जा रही श्रृंखला का हिस्सा रही, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मचारियों को आत्मचिंतन और सकारात्मक दृष्टिकोण से जोड़ना है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें जिला समन्वयक प्रिया चौधरी, जिला संपर्क व्यक्ति महेश गुंजेले, राज्य आनंद संस्थान के मास्टर ट्रेनर नारायण फरकले एवं तुलिका पचौरी की गरिमामयी उपस्थिति रही। परिचय सत्र में महेश गुंजेले ने कहा कि आनंद विभाग का प्रयास केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं हैं,बल्कि यह समाज में सकारात्मकता और सौहार्द्र का संदेश भी फैलाता है अल्प विराम सामाजिक बदलाव की ओर एक कदम है। इसके बाद आनंद की ओर विषय पर संवाद सत्र आयोजित हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी जीवनानुभूतियों को साझा किया और आनंद संस्थान की गतिविधियों से परिचय प्राप्त किया। मास्टर ट्रेनर तुलिका पचौरी ने जीवन का लेखा-जोखा विषय पर विचार साझा करते हुए प्रतिभागियों से चार आत्ममंथन प्रश्न पूछे ङ्क बचपन से अब तक मेरी मदद किस-किस ने की, मैंने किस-किस की नि:स्वार्थ मदद की, मुझे किसने दु:ख दिया और मैंने किसे दु:ख पहुचाया। इन प्रश्नों ने प्रतिभागियों को अपने भीतर झांकने और संबंधों की गहराई को समझने का अवसर दिया।

पलासपानी में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

भैंसदेही। विधिक सेवा प्राधिकरण भैंसदेही द्वारा विधिक साक्षरता शिविर पलासपानी में आयोजित किया गया। शिविर में सिविल कोर्ट भैंसदेही के न्यायाधीश महेंद्र सिंह मेहसण, वरिष्ठ अधिवक्ता वीडी कोसे, संजीव गांवडे, दुर्गादास गल्फट, समाजसेवी रूपेश देशमुख, छात्रावास अधीक्षक महादेव मर्सकोल्हे, संजय डांगे, छात्र-छात्राएं और ग्रामीणजन उपस्थित थे। शिविर के दौरान कानूनी जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ कानूनी अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। सर्वप्रथम न्यायाधीश महेंद्र सिंह मेहसण ने ग्रामीणों एवं विद्यार्थियों

को कानूनी बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट पर विस्तार से चर्चा करते हुए बतलाया कि बिना बीमा का वाहन नहीं चलना चाहिए अन्यथा उसे पर जुर्माना हो सकता है। न्यायधीश ने नेशनल लोक अदालत के बारे में बतलाया कि समझौते योग्य मामलों को आपसी रजामंदी से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने निशुल्क अधिवक्ता कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में भी अवगत कराया। वरिष्ठ अधिवक्ता वीडी कोसे ने समझौते योग्य प्रकरणों के बारे में विस्तार से बतलाया एवं किस प्रकार से न्यायालय में आपसी रजामंदी से समझौते किए जाते हैं उस प्रक्रिया के ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने अगले महीने होने वाली नेशनल लोक अदालत में समझौते योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में लाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित भी किया। छात्रावास अधीक्षक संजय देंगे ने छात्रों को मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से समझाया। मंच संचालन अधिवक्ता संजीव गावंडे द्वारा किया गया। इसके पश्चात आभार प्रदर्शन कर कार्यक्रम समाप्त किया गया।

बैठक नपा के बाल मंदिर सभागृह में आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक

दीपावली से पहले शहर संवारने में जुटे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल

बैतूल। दीपावली से पहले नगर के सभी आवश्यक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने नगर पालिका के बाल मंदिर सभागृह में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।

इस बैठक में नगर के विकास से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, विधायक हेमंत खंडेलवाल ने आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए नगर की साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, सड़क निर्माण और नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को

समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व विभाग से एसडीएम, तहसीलदार, एमपीईबी के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग की ईई प्रीति पटेल एवं उनका समस्त स्टाफ, नगर पालिका अध्यक्ष पार्वतीबाई बारस्कर, उपाध्यक्ष महेश राठौर, सभापति तथा नगर पालिका के सभी पार्षदगण उपस्थित रहे। श्री खंडेलवाल ने सबसे पहले पट्टों के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि नगर में जिन लोगों के पट्टों की समस्या लंबित है, उनका शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि जमीन की उपलब्धता के अनुसार सर्वे कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और पट्टों को व्यवस्थित रूप से जारी किया जाए ताकि नागरिकों को राहत मिल सके।

जर्जर विद्युत पोल हटाए जाएंगे: इसके बाद एमपीईबी अधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नगर में अनेक विद्युत पोल जर्जर और खराब स्थिति में हैं, जिन्हें दीपावली के पहले हटाया जाए। साथ ही सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइटों की जांच कर उन्हें दुरुस्त किया जाए ताकि दीपावली के दौरान पूरे नगर में रोशनी का माहौल बने। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए कि नगर में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा किया जाए। श्री खंडेलवाल ने कहा कि नागरिकों को त्योहार के पहले किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए सभी विभाग मिलकर समन्वय के साथ कार्य करें।

दीपावली के बाद चलाई जाएगी अतिक्रमण मुहिम: उन्होंने कहा कि आमजन को आवागमन में परेशानी का सबब बने अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दीपावली के बाद नगर की मुख्य सड़कों के साथ-साथ वार्डों में भी सतत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। श्री खंडेलवाल ने एमपीईबी अधिकारियों को निर्देशित किया कि दीपावली से पहले सभी क्षेत्रों में विद्युत मेंटेनेंस कार्य पूर्ण किए जाएं, जबकि नपा को स्ट्रीट लाइट सुधार के लिए कहा गया।

घायल गौवंश के उपचार के लिए देर से पहुंची टीम

सारनी। नगर पालिका परिषद सारनी क्षेत्र में घायल गौवंश के उपचार में पशु चिकित्सा विभाग की लापरवाही उजागर हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका अधिकारी भावसार ने घटना की जानकारी मिलते ही पशु चिकित्सालय को फोन कर घायल गौवंश के उपचार हेतु सहायता मांगी, किंतु स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय ने कर्मचारियों के कहने पर तत्काल 1962 चलित पशु चिकित्सक दल को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही डॉ. छोटी उईके मौके पर पहुंचीं और घायल गौवंश को इंजेक्शन व दवाई देकर प्राथमिक उपचार प्रदान किया। नगर पालिका सुपरवाइजर

विनोद परिहार द्वारा तत्काल नगर निगम के पशु वाहन को मौके पर भेजा गया, जिसके माध्यम से घायल गौवंश को हर्राढाना गौशाला पहुंचाया गया। इस दौरान यह भी सामने आया कि 1962 चलित पशु चिकित्सा वाहन द्वारा 150 की राशि मांगी गई, जिसे मौके पर उपस्थित पशु प्रेमियों ने चंदा एकत्रित कर देकर वाहन रवाना कराया। इस पूरे घटनाक्रम ने सरकारी प्रणाली की उदासीनता और संवेदनहीनता को उजागर कर दिया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सरकारी पशु चिकित्सालयों में पशुओं के इलाज के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जाती है, जबकि वास्तविक जरूरत के समय सहायता नहीं मिलती। बार-बार जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है।